

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 18(1)साप्र / 2 / 14

जयपुर, दिनांक 18.09.2014

—: आदेश :—


निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार/मांग के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किए जाते हैं :—

| क्र. सं. | वरियता संख्या | नाम व पदनाम  | आवंटित आवास संख्या   | सेवानिवृत्ति दिनांक |
|----------|---------------|--|--|---------------------|
| 1        | 127/2001      | श्री सुमित कुमार जायसवाल<br>वरिष्ठ लिपिक<br>कार्मिक (क-1) विभाग<br>शासन सचिवालय, जयपुर   | 5/2,<br>गांधीनगर   | 30.9.2036           |
| 2        | 159/2003      | श्री रेखड़मल बैरवा<br>प्रयोगशाला सहायक<br>सहायक निदेशक (लेखा)<br>राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर                          | 5/115,<br>गांधीनगर   | 30.9.2034           |
| 3        | 22/2007       | श्रीमती भारती जगासिया<br>कनिष्ठ लिपिक<br>निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर   | 5/151,<br>गांधीनगर   | 31.01.2019          |
| 4        | 23/2007       | श्री कपिल कुमार सिंघल<br>कनिष्ठ लिपिक<br>निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा<br>विभाग, जयपुर   | 5/97,<br>गांधीनगर  | 30.06.2032          |
| 5        | 26/2007       | श्री सुमेर सिंह यादव<br>कनिष्ठ लिपिक<br>संस्थापन अधिकारी, विधि एवं जनसंम्पर्क<br>प्रकोष्ठ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना,<br>जयपुर | 5/109,<br>गांधीनगर   | 30.09.2016          |
| 6        | 27/2008       | श्री राम अवतार<br>कनिष्ठ लिपिक<br>एडीएम ऑफिसर, प्रथम राजस्थान गर्ल्स<br>बटालियन, एन.सी.सी., जयपुर                              | GAD-V-T-1/120<br>विद्याधर नगर  | 30.06.2032          |
| 7        | 11/2010       | श्री कैलाश मीणा<br>वरिष्ठ लिपिक<br>प्रशासनिक सुधार (सूचना का अधिकार)<br>विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर                             | 5/84, गांधीनगर<br>(5/86, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)  | 31.10.2048          |
| 8        | 80/2010       | श्री हरिओम गुप्ता<br>कनिष्ठ लिपिक<br>विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>(एन.आर.आई. एक्ट) कोर्ट नं. 5, जयपुर                         | GAD-V-T-1/149<br>विद्याधर नगर, जयपुर<br>(GAD-V-T-1/47<br>विद्याधर नगर, जयपुर के स्थान पर परिवर्तन) | 31.8.2033           |
| 9        | 01/2011       | श्री हरीश शर्मा<br>कनिष्ठ लिपिक<br>एडीएम ऑफिसर, प्रथम राजस्थान<br>बटालियन एन.सी.सी., जयपुर                                     | GAD-V-T-1/79<br>विद्याधर नगर, जयपुर<br>(GAD-V-T-1/140<br>विद्याधर नगर, जयपुर के स्थान पर परिवर्तन) | 29.2.2040           |
| 10       | 52/2011       | सुश्री राखी परमार<br>कनिष्ठ लिपिक<br>सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर   | 5-ए-9,<br>गांधीनगर<br>(बहुमंजिला)  | 31.7.2047           |
| 11       | 71/2011       | श्री अनिल कुमार<br>कनिष्ठ लिपिक<br>उप शासन सचिव (प्रशासन-1)<br>आहरण एवं वितरण अधिकारी, पंचायती<br>राज विभाग, जयपुर             | GAD-V-T-1/32<br>विद्याधर नगर, जयपुर  | 31.7.2048           |
| 12       | 4/2012        | श्री राजकुमार सिंह<br>कनिष्ठ लिपिक<br>तहसीलदार, तहसील कार्यालय आमेर<br>जयपुर   | GAD-V-T-1/77<br>विद्याधर नगर, जयपुर  | 31.12.2041          |

**शर्त :—**

1. आवास का कब्जा आवंटने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त रामज्ञा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/कर्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में (अर्थात् आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित करं प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कर्य नहीं किया है।
  9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
  10. क्रम संख्या 10 पर अंकित आवंटी से 'कॉगन सुविधा शुल्क' के पेटे राशि रुपये 75/- (अक्षरे पिचेतर रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।


राज्यपाल की आङ्गा से,

  
(मुन्नालाल शर्मा)  
18/7/14

सहायक शासन सचिव

प्रतीलिपि निम्नांकेत को सूचनाथं एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, कृषि विषयन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
7. न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आर.आई. एक्ट), कोर्ट नं०-५, जयपुर।
8. उप शासन सचिव (प्रशासन), आहरण एवं वितरण अधिकारी, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
9. एडीएम ऑफिसर, प्रथम राजस्थान गल्फ बटालियन, एन.सी.री., जयपुर।
10. सहायक निदेशक (लेखा), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।
11. संस्थापन अधिकारी, विधि एवं जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जयपुर।
12. तहसीलदार, तहसील कार्यालय आगेर, जयपुर।
13. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
16. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
17. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग-खण्ड-तृतीय/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग /जयपुर विद्युत वितरण निगम लिं० विद्याधर नगर/गांधीनगर, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
19. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
20. निजी सचिव, प्रगुण शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

  
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 18(1)साप्र/2/14 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 18 SEP 2014

—: आदेश :—

श्री मोहित मीणा पुत्र श्री सीताराम मीणा, कनिष्ठ लिपिक न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 18, जयपुर को उनकी वरियता संख्या 80/2014 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.7.2053 के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 18 (राज्यादेश) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके पिता श्री सीताराम मीणा, कनिष्ठ लिपिक, जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर को आवंटित राजकीय आवास संख्या 5-ए-14, गांधीनगर (बहुमंजिला), जयपुर का उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.7.2014 को होने से उक्त आवास का आवंटन उनके पुत्र (श्री मोहित मीणा) को आउट ऑफ टर्न नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है :—

शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रवतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोके दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
  9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
  10. आवंटी से 'कॉमन सुविधा शुल्क' के पेटे राशि रुपये 75/- (अक्षरे पिचेत्तर रुपये मात्र) रीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
4. सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-18, जयपुर महानगर, जयपुर।
5. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग—खण्ड-तृतीय/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग /जयपुर विद्युत वितरण निगम लिंग, गांधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
8. सम्बन्धित कर्मचारीगण
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
10. रक्षित पत्रावली।

मुन्नालाल शर्मा/18/9/14  
सहायक शासन सचिव